

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan)

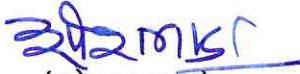
क्रमांक :- एफ.4(ई)(लिंक नं. 10712/2013)/निप/अलेसे-III/04 दिनांक :- 02-01-2023

कार्यालय आदेश

जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर के पत्र क्रमांक व-13()अप/धौल/वि0जा0/2022/15539-40 दिनांक 27.12.2022 के अनुसार श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार को मु. नंबर-77/2021 में धारा 498-ए, 406, 323 भा.द.स. के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया जाने पर दिनांक 15.11.2022 से 14.12.2022 तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया हैं।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री सुभाष चन्द महावर को इनकी गिरफ्तारी दिनांक 15.11.2022 से सेवा से निलम्बित किया जाता है। श्री सुभाष चन्द महावर को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री सुभाष चन्द महावर, कनिष्ठ लेखाकार का राज्य सेवा से निलम्बन अवधि में मुख्यालय कोषाधिकारी, भरतपुर निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री सुभाष चन्द महावर नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देंगे।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(लिंक नं. 10712/2013)/निप/अलेसे-III/04 दिनांक :- 02-01-2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/धौलपुर
2. कोषाधिकारी, भरतपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।
6. ~~श्री सुभाष महावर~~, कनिष्ठ लेखाकार।

(कै.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II/III)